

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फ़ैक्स:0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2024/117
प्रति,

दिनांक - 16.04.24

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त नर्सिंग व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय- प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त नर्सिंग व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के सत्र 2021-22 एवं सत्र 2022-23 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश की निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त नर्सिंग व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के शिक्षण सत्र को मान्य करने के लिये मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के कार्यवृत्त आदेश क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./कु.स./2024/1241 दिनांक 11.03.2024 द्वारा शिक्षण सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के संबद्धता संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

ऐसी समस्त नर्सिंग संस्थाओं को जिन्होंने पूर्व में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति में शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 की शुल्क निर्धारण हेतु आवेदन किया है, निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के निम्नांकित दस्तावेज दिनांक 25.04.2024 तक अपने इंस्टीट्यूट लॉगिन पोर्टल पर दिये गये लिंक ([Please Click Here to submit the latest affiliation and letter of recognized regulatory body](#)) अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके -

1. मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल की जारी अनुमति।
2. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा सम्बद्धता।

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
दिनांक-

पृ. क्रमांक/सचि./ओएसडी/2024/

प्रतिलिपि-माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी